31/1/23 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय के द्वारा बार-बार एक-एक कर आवाजें लगायी गई लेकिन ना तो वादी ना ही वकील वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये। अतः वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर रेकार्ड नम्बर से कम हो।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.05.19 12:13:28 IST
Reason: SelfAttested